झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
नवम् (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 04.08.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री संजीव सरदार स0वि0स0 श्री रामदास सोरेन स0वि0स0 श्री मंगल कालिन्दी स0वि0स0	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत यूसिल तुरामडीह एवं बान्दुहुरंग परियोजना (वर्ष-1984-85 एवं 2003-04) अन्तर्गत ग्राम बान्दुप, तुरामडीह, तालसा, बान्दुहुरंग, पोड़ेहासा एवं केरवाडुंगरी के विस्थापित/प्रभावित ग्रामीणों का पुनर्वास, शेष मुआवजा तथा अन्य लाभ से वंचित है, एवं परियोजना के दूषित पानी से कृषि एवं मत्सय पालन भी क्षति हो रही है जिससे उक्त प्रभावित ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतएव उपर वर्णित तथ्यों के आधार पर यूसिल तुरामडीह एवं बान्दुहुरंग परियोजना से विस्थापित/प्रभावित ग्रामीणों की पुनर्वास, शेष मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता

01.	02.	03.	04.
02-	श्री बसंत सोरेन स0वि0स0	दुमका जिलान्तर्गत मसलिया प्रखण्ड में कुल 21 पंचायत हैं तथा यहाँ की जनसंख्या लगभग 1,84,554 (एक लाख चौरासी हजार पाँच सौ चौवन) है फिर भी उक्त प्रखण्ड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अतः छात्र/छात्राओं के हित में मसलिया प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज की स्थापना करने हेतु मैं, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ताकि छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा ग्रहण करने में लाभ मिल सके।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
03-	श्री राज सिन्हा स0वि0स0 श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0 श्री केदार हजरा स0वि0स0	राज्य सरकार की गजट अधिसूचना सं0- 283 दिनांक- 15.06.2022 के द्वारा कोर्ट फी सहित एफिडेविट (शपथ-पत्र), बेल बॉण्ड तथा नकल आदि निकालने के शुल्क में आमजन को बगैर ध्यान में रखे बेतहाशा वृद्धि कर दी गयी है जिसके कारण झारखण्ड के आम लोगों की पहुँच अदालत से बहुत दूर हो चुकी है। वैसे भी इस राज्य की एक बड़ी आबादी के आय का कोई निश्चित स्त्रोत नहीं है जिस कारण पहले से ही वे न्याय पाने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित रहे है। अब जो बिना किसी तर्क सम्मत विचार के शुल्क में वृद्धि की गयी है, इस कारण आम आदमी का न्यायिक संकट और बढ़ेगा। इतना ही नहीं इससे जनता को न्याय दिलाने वाले अधिवक्तागण भी प्रभावित होंगे क्योंकि जब न्याय पाने वाला ही अर्थाभाव के कारण अदालत से दूर रहेगा तो अधिवक्तागण कोर्ट के सामने किसका पक्ष रखेंगे? राज्य सूखे के कारण तबाह है। ऊपर से जनता के न्याय पाने के अधिकार के ऊपर यह शुल्क का आक्रमण चिंताजनक है। अतः लोक महत्त्व के इस प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल इसे बढ़े हुए शुल्क को समाप्त किया जाय।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
04-	श्री सुदेश कुमार महतो स०वि०स०	राज्य के नियोजनालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पास लाखों बेरोजगारों का नाम दर्ज है और तमाम कोशिशों के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिली है। वित्तीय वर्ष- 2020-21 का बजट पेश करते हुए सरकार ने स्नातक पास बेरोजगारों को सालाना 5000/- रुपए और स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को सालाना 7000/- रूपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। यह योजना दो साल के लिए थी, और बजट में घोषणा के दो साल बीत जाने के बाद भी युवाओं को अब तक एक रूपया बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। अतः सरकार को अपने घोषणा और बजटिय उपबंध के अनुसार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास
05-	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स०वि०स० श्री उमाशंकर अकेला स०वि०स० सुश्री अम्बा प्रसाद स०वि०स०	झारखण्ड सरकार द्वारा अपना महत्वकांक्षी अभियान आपके अधिकार- आपकी सरकार आपके द्वार का शुभारंभ किया था जिसमें कुल 35,95,000 आवेदन में आवास हेतु 7,73,380 आवेदन प्राप्त हुए जिससे झारखण्ड राज्य में आवास से वंचित लोगों को आंका जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास से वंचित लोगों को आवास दिलाना सरकार के लिए चुनौती है। सभी जनप्रतिनिधियों को दिन प्रतिदिन आवास से वंचित लोगों से रूबरू होना पड़ता है। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा SECC DATA 2011 में नाम छूट जाने तथा भारत सरकार से छूटे हुए योग्य परिवार को जोड़ने हेतु अनुरोध से संबंधित विषय को बताते हुए मामले को टाल मटोल किया जाता रहा है। 2011 से अबतक प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो चिंता का विषय है।	ग्रामीण विकास

01.	02.	03.	04.
		अतएव प्रधानमंत्री आवास से वंचित योग्य लाभुक को आवास का सुविधा दिलाने हेतु मुख्यमंत्री आवास योजना जैसे योजनाओं को लाकर आवास से वंचित लोगों को आवास दिलाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रही हूँ।	

रांची,
दिनांक- 04 अगस्त, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-39/2022-2076...../वि० स०, राँची, दिनांक- 03/08/22

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/ सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.08.22
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-39/2022-2076...../वि० स०, राँची, दिनांक- 03/08/22

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

03.08.22
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

03/08/22